



30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

की ओर से लखनऊ/ मेरठ/ कानपुर/ आगरा/ बरेली/ वाराणसी व गोरखपुर
जोन के शहरों की विभिन्न योजनाओं में

- रिक्त फ्री-होल्ड आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर
- ग्रीन फील्ड टाउनशिप, अयोध्या में भी होटल, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत व नर्सिंग होम भूखण्ड उपलब्ध



रिक्त आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु

पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा अवधि

दिनांक:- 27.08.2024 से
दिनांक:- 05.09.2024 तक

ई-नीलामी की तिथि
दिनांक :- 06.09.2024

रिक्त समस्त प्रकार के अनावासीय/ ग्रुप हाउसिंग व
अन्य सम्पत्तियों हेतु

पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा अवधि

दिनांक:- 27.08.2024 से
दिनांक:- 06.09.2024 तक

ई-नीलामी की तिथि
दिनांक :- 07.09.2024

ई-नीलामी पोर्टल
<https://upavpauaction.procure247.com>

अधिक जानकारी के लिए लॉग-इन करें:
परिषद की वेबसाइट: www.upavp.in

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: +918866287104, +919574524058

नियम व शर्तें: (1) मा0 न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (2) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (3) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण / अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जप्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (4) ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। रंग में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के समूख रंग पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है। (5) परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियाँ "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी। (6) समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 5 वर्षों के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुये निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/ समय वृद्धि शुल्क देय होगा। (7) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियाँ परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन की जाएंगी।

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें: (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333,0522-2236803

Website : <https://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

